

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

(Bank Case)

प्रकरण संख्या- 86/2022

"एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस-त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400025 ब्रांच ऑफिस जी-9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म, जयपुर जयें प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर  
- प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

## बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र बद्री लाल चौधरी (ऋणी / बंधककर्ता)  
निवासी: 19/55, कृष्णा नगर, शगुन गार्डन, रंगबाडी, तहसील लाडपुरा, कोटा 324005
2. बद्री लाल चौधरी पुत्र भंवर लाल जाट  
निवासी: 19/75, कृष्णा नगर, रंगबाडी, तहसील लाडपुरा, कोटा 324005  
अन्य पता: 2/5, बडे मन्दिर के पास, नोताडा, बूंदी 323603
3. श्रीमति रूकमणी चौधरी पत्नी बद्री लाल चौधरी  
निवासी: 19/75, कृष्णा नगर, शगुन गार्डन, रंगबाडी, तहसील लाडपुरा, कोटा 324005  
अन्य पता: 2/5, बडे मन्दिर के पास, नोताडा, बूंदी 323603
4. विनोद कुमार चौधरी पुत्र छित्तर लाल  
निवासी: 75/22, माउण्ट कारमल स्कूल के पास कृष्णा नगर, तहसील लाडपुरा, कोटा

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिवसट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री सौरभ सुमन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 07-06-2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है "एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस- त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400025 ब्रांच ऑफिस जी-9, महिमा ट्रिनटी मॉल, स्वेज फार्म, जयपुर से अप्रार्थीगण ने रूपये 16,00,000/- (अक्षरे: रूपये सोलह लाख मात्र) जरिये ऋण अनुबंध सं. 917030070124721 दिनांक 13.10.2017 को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 19, कृष्णा नगर, रंगबाडी, कोटा पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 48.75 वर्ग गज है, जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में रोड, पश्चिम में- रोड, उत्तर में- प्लॉट नं. 20, दक्षिण में- प्लॉट नं. 18 है, जिसका पट्टा जयें कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 20.12.12 से रूकमणी बाई पत्नि बद्री लाल के नाम से जारी किया गया है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 01.07.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 19,67,355/- (अक्षरों रूपसे उन्नीस लाख, सड़षठ हजार, तीन सौ पचपन रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.09.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 05.10.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाना है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 05.10.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.10.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 19, कृष्णा नगर, रंगबाडी, कोटा पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 48.75 वर्ग गज है, जिसकी चर्तु सीमाएं- पूर्व में रोड, पश्चिम में- रोड, उत्तर में- प्लॉट नं. 20, दक्षिण में- प्लॉट नं. 18 है, जिसका पट्टा जयें कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा दिनांक 20.12.12 से रूकमणी बाई पत्नि बद्री लाल के नाम से जारी किया गया है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 07-06-2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

